भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या†2430
उत्तर देने की तारीख 08.07.2019

राष्ट्रीय जल परियोजना

†2430. कुमारी राम्या हरिदास :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन विविध जनजातीय ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जो विगत साठ दिनों के दौरान राष्ट्रीय जल परियोजना के कारण विस्थापित हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रभावित एवं विस्थापित जनजातीय लोगों को अभी तक अपनी भूमि के बदले वित्तीय मुआवजा या प्रतिस्थापन भूमि प्राप्त नहीं हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके आवेदनों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) गत 60 दिनों के दौरान इस मंत्रालय को राष्ट्रीय जल परियोजनाओं के कारण विस्थापित जनजातीय लोगों के संबंध में याचिकाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनर्रोद्धार विभाग देश में सिंचाई तथा जल संसाधन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण, संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए दिनांक 31.12.2013 तक भूमि अधिग्रहण के लाभ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार दिये जाते थे और इस तिथि के पश्चात भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) के अनुसार दिये जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*****